

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक प.1(13)वन/2018

जयपुर, दिनांक : 12.02.2018

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.  
राजस्थान जयपुर।

विषय:— वनभूमि पर प्रस्तावित सड़क गांव ढाणी रायकन से ढाणी राणासर के  
संबंध में (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/30198/2017)

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक एफ.14( )2017/एफ.सी.ए/प्रमुवसं./658 दिनांक  
01.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले एफ.आर.ए प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में जिला कलेक्टर का नाम एवं पदनाम की मोहर भी उद्धरण नहीं है।

इसी प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत एफ.आर.ए प्रमाण पत्र में प्रत्यार्तन किये जाने क्षेत्रफल 0.38 है० दर्शाया गया है। जबकि प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 0.375 है० है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अधिकतम 0.38 है० वनभूमि उपयोग हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए एन.पी.वी. की राशि की गणना 0.375 है० के अनुसार की गयी है।

अतः प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का स्पष्ट क्षेत्रफल अंकित करते हुए तदानुसार संबंधित जिला कलेक्टर से एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की मूल प्रति भिजवाने का कष्ट करे।

भवदीय



(आर.के. खैरवा)  
विशेषाधिकारी, वन